N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0125 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/05/2025 15:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 02/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/05/2025 15:29:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 510 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SALUMBAR, JILA SALUMBAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): POONJILAL MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): PADAJI MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON KUDA,GRAM PANCHYAT KHJURI, TEHASIL LASADIYA, SALUMBER, सलूम्बर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON KUDA,GRAM PANCHYAT KHJURI, TEHASIL LASADIYA, SALUMBER, सलूम्बर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIVEK JOSHI		पिता:RAMESH CHANDRA JOSHI	1. MUKAM POST GAMOTHVADA,SAGWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि ब्यूरो इकाई उदयपुर पर परिवादी श्री पूंजीलाल मीणा ने दिनांक 29.03.2025 को उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मै पूंजीलाल पुत्र पदाजी मीणा उम्र 35 साल निवासी गांव कुडा तहसील लसाडिया ग्राम पंचायत खजूरी पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी पदाजी की मृत्यु 19 साल पहले हो गई थी। मेरे परिवार में मेरी माताजी और मुझसे तीन छोटे भाई है। मैं खेतीबाडी का काम करता हूं। मुझसे छोटा भाई खेमराज टैक्टर चलाता है, तीसरे नम्बर का भाई धनराज गांव में ही किराणा की दुकान चलाता है और सबसे छोटा भाई भेरूलाल अहमदाबद में मजूदरी करता है। मेरे गांव से 04 किलोमीटर की दूरी पर गांव देवलिया में प्रतिवर्ष माताजी का जमरा बीज का मेला भरता है। दिनांक 15.03.2025 को मेले के कारण मेरे भाई धनराज की किराणा की दुकान पर काफी लोग आ रहे थे। उसी दौरान मेरे भाई का मोबाईल फोन दुकान से चोरी हो गया था। हम दो दिन तक मेरे भाई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन करते रहे पर फोन स्विच ऑफ आता रहा। इसके बाद दिनांक 18.03.2025 को इस नम्बर पर बात हुई और फोन चुराने वाले ने हमें एक ई-मित्र वाले का नम्बर दिया और उस पर 200 रूपये डलवाने के लिये कहा। तो मेरे भाई खेमराज ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से ई-मित्र वाले के मोबाईल नम्बर [redacted] पर 200 रूपये डलवा दिये। इसके बाद उसी दिन हमने ई-मित्र वाले प्रकाशचन्द्र मीणा निवासी केशरियावाद जिला प्रतापगढ की दुकान पर जाकर अपने मोबाईल पर 200 रूपये डलवाने वाले की जानकारी की तो प्रकाशचन्द्र मीणा ने उसका नाम हीरा पिता गोतिया निवासी केशरियावाद जिला प्रतापगढ होना बताया। फिर मैं और मेरे भाई धनराज और खेमराज हमारे गांव के एक-दो लोगो के साथ हीरा पिता गोतिया के घर पर गये जहां पर उसके माता पिता ने हीरा के चोरी का काम करने और उससे कोई सम्पर्क नहीं होना बताया। हम गांव केशरियावाद के सरपंच अर्जुनलाल से मिले जिसने हीरा के घरवालों से बात कर मेरे भाई धनराज का फोन जल्दी ही लौटाने का कहा। इसके बाद भी हम हीरा की तलाश करते रहे और दिनांक 27.03.2025 को धनराज और खेमराज ने हीरा को बिडावल के मेले में देखा और पीछा करते हुए दई खेडा के पास रोक लिया। हीरा ने मौके पर ही मेरे भाई धनराज का फोन चुराना कबूल कर लिया और गिरवी रख देना बताया। इसके बाद मैंने श्री अजुर्नलाल सरपंच केशरियावाद से बात की जिन्होने अपने परिचित के माध्यम से मोबाईल फोन मंगवाने के लिये हामी भरी। रात होने के कारण हीरा हमारे घर पर ही रूका जिसे हमने खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन दिनांक [redacted]3.2025 को मेरे मोबाईल फोन [redacted] पर थाना सलूम्बर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम तुरन्त हीरा को लेकर सलूम्बर थाने पर आओ। इस पर मैंने थाना सलूम्बर के विवेक हैड कानिस्टेबल से उनके मोबईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क किया तो उन्होने हीरा को अपने साथ थाना सलूम्बर के पास वाली चाय की होटल पर लाने के लिये कहा। रास्ते मे विवेक हैड कानिस्टेबल ने मोबाईल फोन से फोन कर हम कहां तक पहुंचे, मालूम किया था। चाय की होटल पर मेरे काका केशा और हीरा के पहुंचने पर विवेक हैड कानिस्टेबल अपनी मोटरसाईकिल से आये थे और आगे-आगे चलकर हमे थाने पर ले गये। थाना सलूम्बर पहुंचने पर विवेक हैड कानिस्टेबल ने रसोई के पास के कमरे में हीरा से मारपीट कर पूछताछ की। उसके बाद मुझे और केशा को उसी कमरे मे बैठा दिया और कहा कि जब तक धनराज नहीं आयेगा, तुम दोनो को नही छोडूंगा। इसके बाद मेरे फोन करने पर कुछ समय बाद धनराज थाने पर आ गया जहां उसके आते ही विवेक हैड कानिस्टेबल ने धनराज के साथ भी मारपीट की और फिर दोनो को हवालात में बन्द कर दिया। फिर विवेक हैड कानिस्टेबल मुझे और मेरे काका केशा को थाने के एक कमरे में लेकर गये और धनराज को छोडने की एवज में तीस हजार रूपये की मांग की। मेरे और मेरे काका केशा के काफी निवेदन करने पर विवेक हैड कानिस्टेबल ने धनराज को छोडने की एवज में 10,000/- रूपये कल तक लेकर आने को कहा और नही तो मुकदमे में फसाने की धमकी दी। मेरे भाई धनराज को थाना सलूम्बर पर बिना किसी अपराध के कल से हवालात में बन्द कर रखा है और विवेक हैड कानिस्टेबल धनराज को छोडने की एवज में 10,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं विवेक हैड कानिस्टेबल थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर को 10,000/- रूपये रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी विवेक हैड कानिस्टेबल थाना सलूम्बर से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन-देन अथवा बकाया है। कृपया मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर दिनांक 29.03.2025 समय 10.15 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी

को ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादी को संदिग्ध श्री विवेक हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर से रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बारे में अवगत कराया जाकर परिवादी को संदिग्ध श्री विवेक हैड कानिस्टेबल से मोबाईल पर वार्ता करने हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री विवेक हैड कानिस्टेबल मुझसे फोन पर रूपयों सम्बन्धी बात नहीं करेगे और उन्होने मुझे आज ही 10,000/- रूपये लेकर पुलिस थाना सलूम्बर पर बुलाया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने के उपरान्त ही संदिग्ध को रिश्वती राशि देने हेतु कहा गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरेश कानि. 424 को कार्यालय में तलब किया जाकर कार्यालय अलमारी में रखे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को निकलवाया गया एवं परिवादी श्री पूंजीलाल को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि (प्रकिया) भली-भांति समझाई गई एवं श्री सुरेश कानि. से एक नया रिक्त मैमोरी कार्ड मंगवाया गया तो श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा अलमारी में से एक नया रिक्त मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी का लेकर आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के सामने ही श्री सुरेश कानि. 424 से नया मैमोरी कार्ड ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में डलवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड होने वाली वार्ता को मैमोरी कार्ड में ही संरक्षित किये जाने की हिदयात दी गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः परिवादी श्री पूंजीलाल को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई जाकर श्री सुरेश कानि. 424 एवं परिवादी श्री पूंजीलाल का आपस में परिचय करवाया जाकर एक दूसरे के मोबईल नम्बर आपस में दिलवाये जाकर श्री सुरेश कानि. को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी को श्री सुरेश कानि. की मोटरसाईकिल से थाना सलूम्बर की ओर हिदायतन रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय करीबन 10.45 एएम पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 04.20 पीएम पर श्री सुरेश कानि. 424 मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय परिवादी श्री पूंजीलाल के ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित हो परिवादी के समक्ष ही श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मन् कानि. मय ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय परिवादी श्री पूंजीलाल ब्यूरो इकाई उदयपुर से समय करीबन 10.45 एएम पर मेरी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर की ओर रवाना हो समय करीबन 1.10 पीएम पर मैं व परिवादी श्री पूंजीलाल थाना सलूम्बर के कुछ पहले रूके जहां पर मन् कानि. द्वारा परिवादी के मोबाईल नं. [redacted] से संदिग्ध के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर वार्ता करवाई गई जिस वार्ता को मेरे द्वारा प्रक्रियानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में उपलब्ध मैमोरी कार्ड में संरक्षित की गई। उक्त वार्तानुसार संदिग्ध श्री विवेक हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी को थाना सलूम्बर पर ही बुलाया गया। जिस पर मन् कानि. द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया पुनः परिवादी श्री पूंजीलाल को समझाई जाकर समय 1.18 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी श्री पूंजीलाल को सुपुर्द किया गया जिस परिवादी द्वारा अपने पहने हुए कपडों में छुपाकर थाने की ओर हिदायतन रवाना किया गया। मैं भी परिवादी के पीछे-पीछे अपनी उपस्थिति छुपाये हुए थाना सलूम्बर से कुछ दूरी पर, जहां से थाना परिसर नजर आ रहा था, अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के वापस आने के इन्तजार में रहा। इसके करीबन आधा घन्टे बाद परिवादी श्री पूंजीलाल थाना परिसर के बाहर आया जिस पर मैं उसी जगह जहां से परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर दिया वहां पहुंचा जहां पर परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकार्ड पेश किया जिस पर मेरे द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने मन् कानि. को अवगत करवाया कि मैं थाना सलूम्बर में गया जहां पर श्री विवेक जी हैड कानिस्टेबल मुझसे मिले और मुझे थाने में बन्द मेरे भाई के सम्बन्ध में कहा कि मुकदमा नहीं किया है, 151 में पाबन्द किया है। बात की थी, बात रख दी है। फिर वो मुझे थाना परिसर के रसोई घर की ओर ले गये व मुझसे ईशारे में रूपये मांगे जिस पर मैने मेरी जेब में रखे 7000/- रूपये उनको दे दिये जिसे गिनकर उन्होने कहा 7,000/- तो मैने कहा 7,000/-। फिर मैंने उनको कहा कि तीन हजार आपको सोमवार के दिन मिल जायेगें तो विवेक जी ने मुझे कहा कि मेरी बात सुन, उन पचास सौ रूपये तेरे भाई के पास मिले है, फिर विवेक जी मुझे थाना परिसर की हवालात की ओर लेकर गये जहां मेरे काका केशा भी मौजूद थे। फिर उन्होने हवालात में बन्द मेरे भाई धनराज के सामने कहा कि तेरे भाई धनराज की जेब से 4900/- रूपये, एक ब्रेसलेट और चांदी की अंगूठी मिले है, जो उन्होने मुझे दे दिये और फिर उन्होने मुझे कहा कि इसमें से तीन दे दे और फिर अपने हाथों से गिनकर मुझसे मेरी भाई के जेब में मिले 4900/- रूपये में से 3000/- रूपये मांग कर ले लिये और अपने पास रख लिये। इसके बाद उन्होने कहा कि यहां कोई और पूछे तो सिर्फ तीन बताना, उनको कहा देना कि कोई पैसा-वैसा नहीं दिया है, मैंने साहब को हजार रूपये दिये हैं।फिर जमानत के लिये कहा कि 500 रूपये का काम है वहां तो, कछ भी नहीं करना पडेगा, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे को वकील भी कर दूंगा, टेन्शन मत ले। पुलिस ने रात को रखा है तो पुलिस पाबन्द तो करेगी, आदि। इसके बाद फिर मैं वहां से रवाना होकर सीधे ही आपके पाया आया हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पूंजीलाल से पूछा गया तो परिवादी ने श्री सुरेश कानि. द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री पूंजीलाल एवं श्री सुरेश कानि. 424 के समक्ष ही ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर को चला

कर सुना गया तो रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता में संदिग्ध श्री विवेक हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री पूंजीलाल के भाई श्री धनराज के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व नहीं करने एवं मात्र 151 जा.फो. के तहत पाबन्द करने की एवज में परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार 10,000/- रूपये की मांग करना एवं दिनांक 29.03.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री पूंजीलाल से 7,000/- रूपये प्राप्त करना तथा थाने की हवालात मे बन्द परिवादी के भाई धनराज की तलाशी के दौरान मिले 4,900/- रूपये, ब्रेसलेट एवं चांदी की अंगूठी सुपुर्द कर राशि 4,900/- रूपये में से 3,000/- रूपये मांग कर ग्रहण कर गिनकर अपने पास रखना अर्थात इस प्रकार कुल 10,000/- रूपये मांग कर ग्रहण करना श्री विवेक हैड कानिस्टेबल के विरूद्व प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित हैं। मामले हाजा में अग्रिम कार्यवाही की जानी है, किन्तु आज दिनांक एवं दिनांक 30 एवं 31.03.2025 को राजपत्रित अवकाश होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी अग्रिम कार्य दिवस दिनांक 01.04.2025 को कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी श्री पूंजीलाल को मामले में गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 01.04.2025 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के साथ रूखसती दी गई एवं ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर उसी अवस्था में कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2025 समय 11.00 एएम पर मामले हाजा की अग्रिम कार्यवाही के क्रम में स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु पत्र क्रमांक 678 दिनांक 01.04.2025 निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के नाम जारी कर श्री पुष्करलाल हैडकानि. 120 को मय तहरीर अनुसार दो स्वतंत्र गवाहान तलब करने हेतु रवाना किया जाने पर समय 11.40 एएम पर श्री पुष्करलाल हैडकानि. 120 मय दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय पूछा तो दोनो ने अपना-अपना नाम पता श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भुवनेन्द्र भारती उम्र 42 साल निवासी 54/423 न्यू विद्या नगर श्रीजी विहार हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री महेशचन्द्र यादव पुत्र श्री नन्द किशोर यादव उम्र 38 साल निवासी आवरीमाता के पास, यादव कॉलोनी, फतहनगर जिला उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर होना बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर दोनो गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया एवं परिवादी श्री पूंजीलाल के आने के इन्तजार में रहें। तत्पश्चात समय 03.20 पीएम पर तलबशुदा परिवादी श्री पूंजीलाल कार्यालय पर उपस्थित हुआ जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया एवं परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ कर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना एवं रिपोर्ट सलूम्बर में वकील से टाईप करवाना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट पर दोना स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष की अलमारी में दिनांक 29.03.2025 को सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉईस रिकार्डर को निकाला जाकर परिवादी के समक्ष स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में दिनांक 29.03.2025 को परिवादी श्री पूंजीलाल एवं आरोपी श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मध्य हुई मोबाईल एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं को चला कर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी आरोपी हैडकानि. द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 7000/- रूपये एवं 3,000/- रूपये मांग कर ग्रहण करने की पुष्टि जाने पर समय 4.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर को कार्यालय लेप-टोप से कनेक्ट करा ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में संरक्षितशुदा परिवादी श्री पूंजीलाल एवं आरोपी श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मध्य दिनांक 29.03.2025 को हुई मोबाईल वार्ता को चला कर वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट शब्द ब शब्द तैयार की जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 4.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर को कार्यालय लेप-टोप से कनेक्टशुदा ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में संरक्षितशुदा परिवादी श्री पूंजीलाल एवं आरोपी श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मध्य दिनांक 29.03.2025 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चला कर वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट शब्द ब शब्द तैयार की जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 5.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड Sandisk कम्पनी का 16GB SDSC Card में दिनांक 29.03.2025 को परिवादी एवं आरोपी श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की रिकार्डिंग को 03 पेनड्राईव में कॉपी करवाई गई। एक पेनड्राईव पर मूल तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आईओ लिखा गया। मूल पेनड्राईव Sandisk 16GB की लेपटोप में इन्स्टॉलशुदा सोफ्टवेयर एफटीके फाईल ईमेजर से हैश वैल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल पेन ड्राईव Sandisk 16GB को पेनड्राई कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली को श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सीलचिट कराचिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव Sandisk 16GB एवं आईओ पेनड्राईव Sandisk 16GB को पेनड्राई

कवर में रखवाकर पेनड्राई कवर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं समय 05.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से कनेक्टशुदा को श्री सुरेश कुमार कानि. से ही संरक्षित वार्तायें दिनांक 29.03.2025 को परिवादी श्री पूंजीलाल एवं आरोपी श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मध्य दिनांक 29.03.2025 को हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तायें मूल रूप से संरक्षित है। मेमोरी कार्ड की लेपटोप में इन्स्टॉलशुदा सोफ्टवेयर एफटीके फाईल ईमेजर से हैश वैल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया जो Sandisk कम्पनी का 16GB बरंग काला है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रखवाकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से डलवाया जाकर सीलचीट करवाया गया एवं चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क M अंकित किया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक मे मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले हाजा में सीलचिट आर्टिकल को सुरक्षित मालखाने में रखवाये जाने हेतु आर्टिकल श्री गुलाबसिंह हैडकानि. आर्टिकल का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में करने के उपरान्त आर्टिकल को मालखाना में रखे जाने की हिदायत के सुपुर्द किया गया एवं समय 06.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय से ही सकूनत के लिये रूखसत मय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री सुरेश कानि. 424 एवं श्री पुष्करलाल हैडकानि. 120 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन से रवाना हुए अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पत्र क्रमांक 680 दिनांक 01.04.2025 मुर्तिब कर थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर रवाना हुआ। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर से रवानाशुदा समय करीबन 10.20पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंचे। जहां पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सलूम्बर पर थानाधिकारी थाना सलूम्बर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1916 दिनांक 01.04.2025 थाना सलूम्बर के दिनांक 28.03.2025 एवं 29.03.2025 के रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति, थाना सलूम्बर पर संधारित परिवाद रजिस्टर में दिनांक 28.03.2025 एवं 29.03.2025 को अंकित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति, थाना सलूम्बर पर दिनांक 29.03.2025 को श्री धनराज मीणा एवं श्री हीरालाल मीणा के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मय इन्सदादी कार्यवाही के रजिस्टर में दिनांक 29.03.2025 को अंकित प्रविष्टियां की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। थाना सलूम्बर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की दिनांक 28.03.2025 एवं 29.03.2025 की वीडियो फुटेज के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सलूम्बर द्वारा अवगत करवाया गया कि थाने पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में अन्तिम रिकार्डिंग दिनांक 12.03.2025 की है। अतः दिनांक 28.03.2025 एवं 29.03.2025 की वीडियो फुटेज की रिकार्डिंग उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। उक्त दस्तावेज का अवलोकन कर संलग्न पत्रावली किया गया एवं वक्त रात्रि का होने एवं श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर को दिनांक 02.04.2025 को आरोपी विवेक हैड कानिस्टेबल413 की आवाज की पहचान हेतु कार्यालय हाजा तलब किया गया है। अतः उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को रूखसती दी जाकर दिनांक 02.04.2025 को प्रातः 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.04.2025 समय 11.20 ए.एम. पर इस समय पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री विशाल माथुर एवं श्री महेशचन्द्र यादव कार्यालय में उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। इसी दौरान समय 11.35 एएम पर पाबन्दशुदा श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर कार्यालय में उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गुलाब सिंह हैडकानि से कार्यालय मालखाना में सुरक्षित रखवाये डब पैनड्राईव जिसमें मामले हाजा के परिवादी श्री पूंजीलाल मीणा एवं आरेपी श्री विवेक जोशी हैडकानि 413 के मध्य दिनांक 29.03.2025 को हुई मोबाईल एवं रिश्वती राशि वार्ता संरक्षित की गई है, को मंगवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर के समक्ष श्री सुरेश कानि. 424 को उक्त पेनड्राईव को लेपटोप से कनेक्ट करा पेनड्राईव में संरक्षित वार्ता को चला कर सुनाया गया तो श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर द्वारा रिकार्ड वार्ता में एक आवाज श्री विवेक जोशी हैडकानि 413 थाना सलूम्बर की होना तथा दूसरी आवाज को पहचानने से इन्कार किया गया। फर्द आवाज पहचान द्वारा श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली की गई एवं श्री मनीष खोईवाल थानाधिकारी थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को रूखसत दी गई। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री पूंजीलाल द्वारा दिनांक 29.03.2025 को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई शिकायत के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही के आधार पर पाया गया है कि परिवादी श्री पूंजीलाल की दिनांक 28.03.2025 को श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के मोबाईल नम्बर 9772711981 पर हुई वार्ता के अनुक्रम में परिवादी श्री पूंजीलाल के अपने काका केशा और हीरा पुत्र गोतिया के साथ थाना सलूम्बर जाने पर श्री विवेक हैडकानिस्टेबल के कहने पर अपने भाई धनराज को थाना सलूम्बर बुलवाये जाने के पश्चात श्री विवेक हैडकानिस्टेबल द्वारा हीरा पुत्र गोतिया एवं धनराज पुत्र पदा

के साथ मारपीट कर हवालात में बन्द कर धनराज को छोडने की एवज में 10,000/- रूपये लेकर आने तथा नहीं लेकर आने पर मुकदमें में फंसाने की धमकी देना अंकित किया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा श्री पूंजीलाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत का सत्यापन परिवादी को श्री सुरेश कानि. 424 कार्यालय हाजा के साथ मय डिजिटल वॉईस रिकार्डर थाना सलूम्बर भिजवाया जाकर करवाया गया तो मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री पूंजीलाल के थाना सलूम्बर जाने पर विवेक हैड कानिस्टेबल 413 द्वारा थाने में बन्द परिवादी श्री पूंजीलाल के भाई धनराज के सम्बन्ध में कहा गया कि मुकदमा नहीं किया है, 151 में पाबन्द किया है। बात की थी, बात रख दी है। फिर विवेक हैड कानिस्टेबल 413 द्वारा परिवादी को थाना परिसर के रसोई घर की ओर ले जाकर विवेक हैड कानिस्टेबल द्वारा ईशारे में रूपये मांगे जिस पर परिवादी द्वारा अपनी जेब में रखे 7000/- रूपये विवेक हैड कानिस्टेबल को दिये गये जिन्हें गिनकर विवेक हैड कानिस्टेबल ने कहा 7,000/- तो परिवादी ने कहा 7,000/-। फिर परिवादी ने विवेक हैड कानिस्टेबल को कहा कि तीन हजार आपको सोमवार के दिन मिल जायेंगे तो विवेक हैड कानिस्टेबल ने परिवादी से कहा कि मेरी बात सुन, उन पचास सौ रूपये तेरे भाई के पास मिले है, फिर विवेक हैड कानिस्टेबल परिवादी को थाना परिसर की हवालात की ओर लेकर गया जहां परिवादी का काका केशा भी मौजूद था। फिर विवेक हैड कानिस्टेबल ने हवालात में बन्द परिवादी के भाई धनराज के सामने परिवादी से कहा कि तेरे भाई धनराज की जेब से 4900/- रूपये, एक ब्रेसलेट और चांदी की अंगूठी मिले है, जिसे विवेक हैड कानिस्टेबल ने परिवादी को दे दिये और फिर परिवादी से कहा कि इसमें से तीन दे दे और फिर विवेक हैड कानिस्टेबल ने अपने हाथों से गिनकर परिवादी से उसके भाई धनराज की जेब में मिले 4900/- रूपये में से 3000/- रूपये मांग कर ले लिये और अपने पास रख लिये। इसके बाद विवेक हैड कानिस्टेबल ने परिवादी से कहा कि यहां कोई और पूछे तो सिर्फ तीन बताना, उनको कह देना कि कोई पैसा-वैसा नहीं दिया है, मैंने साहब को हजार रूपये दिये हैं। फिर जमानत के लिये कहा कि 500 रूपये का काम है वहां तो, कछ भी नहीं करना पडेगा, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे को वकील भी कर दूंगा, टेन्शन मत ले। पुलिस ने रात को रखा है, तो पुलिस पाबन्द तो करेगी, आदि। मांग सत्यापन वार्ता के दौरान विवेक हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी से 7,000/- रूपये एवं 3000/- रूपये कुल 10,000/- रूपये प्राप्त करने पर परिवादी श्री पूंजीलाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत में विवेक हैड कानिस्टेबल 413 थाना सलूम्बर द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की पुष्टि होती है। इसी प्रकार थानाधिकारी थाना सलूम्बर से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार दिनांक 29.03.2025 को थाना सलूम्बर पर हीरा पुत्र गोतिया एवं धनराज पुत्र पदा को धारा 126-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर विवेक हैडकानिस्टेबल 413 द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट सलूम्बर के समक्ष पेश किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार श्री विवेक जोशी हैडकानिस्टेबल 413 थाना सलूम्बर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री पूंजीलाल पुत्र पदा के भाई श्री धनराज मीणा को दिनांक 28.03.2025 को अवैध रूप से हिरासत में रख करपरिवादी से श्री धनराज मीणा को छोडने की एवज में 10,000/- रूपये लेकर आने तथा नहीं लेकर आने पर मुकदमें में फंसाने की धमकी देने तथा दिनांक 29.03.2025 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री पूंजीलाल पुत्र पदा से 7,000/- रूपये एवं 3000/- रूपये कुल 10,000/- रूपये प्राप्त कर ग्रहण करने तथा उक्त रूपये प्राप्त करने के उपरान्तदिनांक 29.03.2025 को परिवादी श्री पूंजीलाल पुत्र पदा के भाई श्री धनराज मीणा को पर धारा 126-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर विवेक हैडकानिस्टेबल 413 द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट सलूम्बर के समक्ष पेश किये जाने पर जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री विवेक जोशी हैडकानिस्टेबल 413 थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर के विरूद्द ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट सादर प्रेषित है। भवदीय, (अनन्त कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर।......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विवेक जोशी पुत्र श्री रमेश चंद्र जोशी निवासी मु-पो- गमोठवाडा सागवाड़ा ज़िला डूंगरपुर हाल हैड कानिस्टेबल 11/413 थाना सलूम्बर जिला सलूम्बरके विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डां. सोनू शेखावत,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रपट संख्या 428 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 729-32 दिनांक 23.5.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2. पुलिस अधीक्षक जिला सलूम्बर। 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/05/2025 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/11/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)